



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 23 अगस्त, 2020

भाद्रपद 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग-7

संख्या 111/1/3/80-सी०एक्स०-7-(टी०सी०-III)

लखनऊ, 23 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प०आ०-189

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 9 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या 111/1/3/80-सी०एक्स०-7-(टी०सी०-III), दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को अवक्रमित करते हुए राज्यपाल महादेश मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गठित परामर्शदात्री परिषद का पुनर्गठन करते हैं जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नवत् हैं :-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1- | मा० न्यायमूर्ति श्री पंकज मिथल,
न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। | अध्यक्ष |
| 2- | मा० न्यायमूर्ति श्री श्री कान्त त्रिपाठी,
न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। | सदस्य |
| 3- | मा० न्यायमूर्ति श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव-द्वितीय
न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। | सदस्य |

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 111/1/3/80-सी0एक्स0-7-(टी0सी0-III), तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2-निबन्धक, परामर्शदात्री परिषद (निरुद्धियाँ), उ0प्र0, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ परिसर, लखनऊ।
- 3-मा0 न्यायमूर्ति श्री पंकज मिथल, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 4-मा0 न्यायमूर्ति श्री श्री कान्त त्रिपाठी, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 5-मा0 न्यायमूर्ति श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव-द्वितीय, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 6-मा0 न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 7-सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 8-प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश।
- 9-शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 10-शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 11-वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 12-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 13-गोपन अनुभाग-5/6 उत्तर प्रदेश शासन।
- 14-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनय कुमार,
अनु सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 111/1/3/80-CX-7 (T.C.-III), dated August 23, 2020:

No. 111/1/3/80-CX-7 (T.C.-III)

Dated Lucknow, August 23, 2020

IN, exercise of the powers under section 9 of the National Security Act, 1980 (Act no. 65 of 1980) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of notification no. 111/1/3/80-CX-7 (T.C.-III), dated October 01, 2019, the Governor on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to reconstitute for the purposes of the said Act, an Advisory Board consisting of the following persons to be the Chairman and Members thereof :-

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Hon'ble Mr. Justice Pankaj Mithal
Judge, High Court of Judicature at Allahabad. | Chairman |
| 2. | Hon'ble Mr. Justice Shri Kant Tripathi
Judge, High Court, Allahabad. | Member |
| 3. | Hon'ble Mr. Justice Brijesh Kumar Srivastav-II
Judge, High Court, Allahabad. | Member |

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 170 राजपत्र-2020-(527)-599+25=624 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।